बिन्दु सं0–3

विभाग के निम्नलिखित प्रमुख कार्य है जिसमें सभी प्रकार के निर्णय लेने का अधिकार महानिदेशक पर्यटन में निहित है। वे अपने अधीनस्थ संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक, वरिष्ठ शोध अधिकारी, विशेष कार्याधिकारी, प्रकाशन अधिकारी के सहयोग से विभागीय कार्यों को सम्पन्न कराते हैं। इन्हीं के मार्ग दर्शन में विभागीय निम्नलिखित कार्य पूर्ण किये जाते हैं तथा महानिदेशक द्वारा लिये गये निर्णयों के प्रति ये अधिकारी उत्तरदायी है।

ट्रैवेल ट्रेड संबंधी कार्य

सुख साधन कर

होटलों पर लगने वाले सुख साधन कर की वसूली जिलाधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू–राजस्व विधि अधिनियम, 1975 (होटलों पर सुख साधन कर) में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार की जाती है। उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या–1452/41– 96–494/89, दिनांक 30–6–95 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को अपने अधीनस्थ प्रथम वर्ग के सहायक कलेक्टर स्तर के अधिकारी को सुख साधन कर का कार्य करने हेतु नामित करने के आदेश दिए गए हैं। पिछले वर्षों में उत्तर प्रदेश में सुख साधन कर के रूप में निम्नवत् वसूली की गई :–

वर्ष	सुख साधन कर की वसूली
2002–2003	432.84
2003–2004	659.36
2004–2005	921.16
2005–2006	1179.93
2006–2007	1477.76
2007–2008	1882.75
2008–2009	2083.42
2009–2010	1322.25
(वर्ष 2009–10 की सूचना दिसम्बर, 2009 तक है)	

महोत्सवों के आयोजन

वर्ष 2010–11 के अन्तर्गत आयोजित कराये जाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रम :–

1– रामायण मेला, अयोध्या
2– रामायण मेला, चित्रकूट
3– आयुर्वेद–झाँसी महोत्सव, झाँसी
4– लखनऊ महोत्सव, लखनऊ
5– गंगा महोत्सव, वाराणसी
6– ताज महोत्सव, आगरा
7– मगहर महोत्सव, सन्तकबीरनगर
8– गंगा वाटर रैली, इलाहाबाद–वाराणसी
9– शिल्पग्राम, आगरा में वर्ष–पर्यन्त आयोजन
10– बुद्ध महोत्सव, सारनाथ
11– विश्व पर्यटन दिवस (27 सितम्बर)
12– शिल्पोत्सव, नोएडा

होटलों का वर्गीकरण

प्रदेश में भारतीय एवं विदेशी पर्यटकों को स्टार श्रेणी में अच्छी सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु होटलों के वर्गीकरण का कार्य पर्यटन विभाग, भारत सरकार द्वारा गठित केन्द्रीय वर्गीकरण समिति के माध्यम से कराया जाता है। पर्यटन विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में तीन सितारा तक वर्गीकरण हेतु गठित समिति में सचिव, पर्यटन अध्यक्ष नामित हैं। इसके अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न होटलों का वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण का कार्य किया गया।

वर्तमान में प्रदेश में 8 पाँच सितारा डीलक्स, 7 पाँच सितारा, 4 चार सितारा, 17 तीन सितारा तथा 2 दो सितारा, कुल 38 वर्गीकृत श्रेणी के होटल हैं।

राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मार्टस्/सेमिनारों में भाग लेना एवं आयोजन कराना

पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रचार–प्रसार के उद्देश्य से राष्ट्रीय– अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्टस्/सम्मेलनों एवं संगोष्ठियों में भाग लिया जाता है। इसके अर्न्तगत वर्ष 2009–2010 में साटे, नई दिल्ली, चलो जाय टी0टी0ई0, कोलकाता, ट्रेवल एण्ड टूरिज्म फेयर–2009–कोलकाता, आई.आई.टी.एम–, चेन्नई, बंगलौर, आई0टी0एम0–बंगलौर एवं गोवा, टी0टी0एफ0– अहमदाबाद, बुद्धिस्ट कान्क्लेव–नालन्दा में भाग लिया गया है।

पर्यटन–नीति

प्रदेश में शासनादेश संख्या 3137/41–98–184–98, दिनांक 31–12–98 द्वारा पर्यटन–नीति घोषित की गयी। इसके अन्तर्गत समन्वित पर्यटन–विकास के उद्देश्य से विभिन्न पर्यटन–परिपथों, यथा–बौद्ध परिपथ, बुन्देलखण्ड परिपथ, ब्रज–आगरा परिपथ, अवध परिपथ, वाराणसी–विन्ध्य परिपथ, जल विहार परिपथ, वन्य जीव–इको, साहसिक परिपथ का चिन्हांकन किया गया है।

पर्यटन–नीति के अन्तर्गत विभिन्न परिवहन एवं आवासीय सुविधाओं को प्रोत्साहन दिए जाने का प्राविधान किया गया है। विशेषरूप से सुख साधन कर में रु0 1000/– से कम किराये पर छूट दी गई है तथा नये आने वाले होटलों को पाँच वर्ष तक सुख साधन कर पर पूर्ण मुक्ति अथवा आस्थगन की सुविधा दी गई है। इसके अतिरिक्त पर्यटकों की सहायता के लिये पर्यटन पुलिस बल का गठन एवं निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिये हेरिटेज होटल उपादान एवं पूँजी–निवेश उपादान योजना लागू की गई है।

पर्यटन को एक उद्देश्यपरक गतिविधि के रूप में विकसित करने के लिये नई पर्यटन–नीति बनाई जा रही है, जिसके अन्तर्गत पर्यटन दृष्टिकोण से प्रदेश का सर्वांगीण विकास किया जायेगा। वर्तमान में नवीन पर्यटन–नीति विचाराधीन है।

पेइंग गेस्ट योजना

इस योजना के माध्यम से निजी भवन–स्वामी द्वारा अपने घर का भाग (अधिकतम पाँच कमरे) पर्यटकों को किराये पर उपलब्ध कराये जा सकते हैं। भवन–स्वामी कमरे उपलब्ध कराये जाने के साथ ही पर्यटकों को नाश्ता/भोजन की भी सुविधा उपलब्ध कराते हुये कमरे का किराया व भोजन आदि के लिए आवश्यक निर्धारित धनराशि पर्यटकों से प्राप्त कर सकता है। इससे स्व–रोजगार को बढ़ावा मिलने के साथ–साथ ऐसे मौजूदा पर्यटक स्थलों, जहाँ पर फिलहाल किसी प्रकार की आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ भी देशी–विदेशी पर्यटकों को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध होती

हैं। इस योजना से प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित होते हैं।

पर्यटन–पुलिस–बल का गठन

उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन–पुलिस–बल का गठन किया गया है। वर्तमान में पर्यटकों के आवागमन को दृष्टिगत रखते हुए उनके सुविधार्थ/सहायतार्थ आगरा–वाराणसी एवं लखनऊ में पर्यटन–पुलिस– बल की व्यवस्था की गयी है।

बेड एण्ड ब्रेकफास्ट योजना

पेइंग गेस्ट योजना के समान भारत सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा एक नवीन योजना तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य भारतीय–विदेशी पर्यटकों को भारतीय परिवारों के साथ आवास–भोजन की सुविधा सुलभ कराया जाना है, ताकि पर्यटकों को आवासीय सुविधा के साथ–साथ भारतीय परंम्पराओं एवं रीति–रिवाजों का भी परिचय प्राप्त हो सके। इस व्यवस्था को लागू करने हेतु पर्यटन विभाग द्वारा इसका प्रचार–प्रसार कराया जा रहा है। इस योजना का रजिस्ट्रेशन/मान्यता भारत सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा अब तक प्रदेश में 75 भवनों/प्रतिष्ठानो को पंजीकृत किया गया है।

इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी उक्त योजना की भाँति इनक्रेडिबिल इण्डिया बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना शासनादेश सं0 1007/41–2008–4 (सा0)/08, दिनांक 08 मई, 2008 द्वारा लागू की गई है, जिससे महानगरों एवं पर्यटकों स्थलों पर पर्यटकों को 'होम स्टे' के रूप में आरामदायक, सस्ती आवासीय सुविधा प्राप्त हो सके।

अतिथि–सत्कार एवं परिचयात्मक भ्रमण

इसके अन्तर्गत विभाग द्वारा समय समय पर ट्रैवल–ट्रेड से जुडे लोगों, जैसे–ट्रैवल राइटर, ट्रैवल एजेन्ट, होटेलियर एवं विशिष्ट अतिथियों तथा पर्यटन–विकास से संबंधित अतिथियों को अतिथि–सत्कार की सुविधा प्रदान की गई।

जापान इन्टरनेशनल कोआपरेशन एसोसिएशन की सहायता से बौद्ध परिपथ (द्वितीय चरण) की योजना का क्रियान्वयन

प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय एवं विदेशी पर्यटकों को अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान कर उनकी यात्रा को सुगम बनाने के उद्देश्य से बौद्ध परिपथ (प्रथम चरण) की महत्वाकांक्षी योजना के अन्तर्गत रु0 77.48 करोड़ व्यय करते हुए बौद्ध परिपथ में सड़कों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, दोहरीघाट (मऊ) एवं गाजीपुर में मार्गीय सुविधाओं का निर्माण, कुशीनगर एवं सारनाथ में लैण्ड स्केपिंग, कुशीनगर में सीवरेज एवं पानी की व्यवस्था तथा कुशीनगर में अबाध विद्युत–व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विद्युतीकरण के कार्य कराये गए।

भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा बौद्ध परिपथ (द्वितीय चरण) के लिये बाह्य सहायता प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव आर्थिक मंत्रालय (वित्त मंत्रालय) के माध्यम से जापान बैंक आफ इण्टरनेशनल कोआपरेशन (जे0बी0आई0सी0) की सहायता प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। जे0बी0आई0सी0, जापान [अब जापान इण्टरनेशनल कोआपरेशन एसोसिएशन (जायका)] द्वारा रु0 680.00 करोड़ की मदद देने के लिए सहमति व्यक्त की गई तथा प्रथम चरण में

रु0 396.00 करोड़ का ओ0डी0ए0 लोन स्वीकृत किया गया है। रु0 386.27 करोड़ का संशोधित प्रस्ताव निम्नवत् हैः–

(रुपये करोड़ में)

क्र0सं0	विवरण	अनुमानित लागत
अ–	निर्माण/प्रोजेक्ट का हार्डवेयर कम्पोनेन्ट्स	
(1)	सड़क निर्माण	225.75
	1–कोल्हुई–हाटा नं0–1 एवं कोल्हुई–हाटा नं0–2 कुल लम्बाई 74 किमी0 रु0 129.5 करोड़	
	2–बहराइच बाई पास – लम्बाई 55 किमी0 – लागत 9625 करोड़	
(2)	उपयोगी विकास	90.89
(अ)	सारनाथ में जल निकासी व्यवस्था – लागत रु0 85 करोड़	
(ब)	श्रावस्ती में जल निकासी व्यवस्था – लागत रु0 622 करोड़	
(स)	कुशीनगर में जल निकासी व्यवस्था – लागत रु0 2241 करोड़	
(द)	सारनाथ में जलापूर्ति – लागत 314 करोड़	
(य)	कपिलवस्तु में जलापूर्ति – लागत रु0 062 करोड़	
(र)	कपिलवस्तु में विद्युत व्यवस्था लागत रु0 5000 करोड़	
(3)	स्थल विकास परियोजना	49.63
(अ)	कुशीनगर में स्थल आकर्षण विकास जिसमें विजिटर सेन्टर का निर्माण, बुद्धिस्ट म्यूजियम का पुनःरूद्धार तथा पैदल मार्ग साइट वर्क आदि – लागत रु0 1651 करोड़	
(ब)	श्रावस्ती में स्थल आकर्षण विकास जिसमें विजिटर सेन्टर का निर्माण, म्यूजियम काम्पलेक्स का निर्माण तथा पैदल मार्ग साइट वर्क आदि – लागत रु0 3312 करोड़	
	योग–अ–	366.27
ब–	सपोर्टिंग प्रोग्राम पर निहित व्यय	20.00
(अ)	सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम	
(ब)	पर्यटन विकास कार्यक्रम	
(स)	शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम	
	कुल योग	**386.27**

प्रचार सम्बन्धी कार्य

उत्तर प्रदेश के पर्यटन–आकर्षणों एवं यहाँ विद्यमान पर्यटन–सम्भावनाओं का राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर प्रभावीरूप से प्रचार–प्रसार पर्यटन विभाग के सुनियोजित कार्य–कलापों का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस उद्देश्य से विभाग द्वारा राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय समाचार पत्र–पत्रिकाओं में विज्ञापनों का प्रकाशन, पर्यटन–साहित्य व पोस्टरों का प्रकाशन, फिल्म–सी0डी0 का निर्माण तथा स्थान–स्थान पर होर्डिंगो की स्थापना व समय–समय पर प्रदर्शनियों, मेले–महोत्सवों का आयोजन करवाया जाता है। पर्यटन प्रचार–प्रसार कार्यों हेतु प्रकाशन, विज्ञापन एवं प्रदर्शनी मदों हेतु बजट व्यवस्था कराई जाती है। वित्तीय वर्ष 2009–10 में बजट व्यवस्था निम्नवत् है–

(रुपये लाख में)

प्रकाशन	**30.00**
विज्ञापन	**100.00**
प्रदर्शनी	**10.00**

प्रकाशन

प्रकाशन मद के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न पर्यटक स्थलों एवं पर्यटन गतिविधियों से सम्बन्धित पर्यटन–साहित्य एवं पोस्टर प्रकाशित कराये जाने प्रस्तावित हैं।

ज्ञातव्य है कि पर्यटन–साहित्य, पोस्टर एवं विभागीय फिल्मों की सी0डी0 आदि का वितरण प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर स्थित उत्तर प्रदेश पर्यटन के कार्यालयों के माध्यम से देश–विदेश के पर्यटकों एवं पर्यटन उद्योग से जुड़ी संस्थाओं में कराया जाता है। इसके अतिरिक्त समय–समय पर देश–विदेश में सम्पन्न होने वाली विभिन्न पर्यटन–संगोष्ठियों/आयोजनों आदि में भी पर्यटन साहित्य का वितरण किया जाता है।

विज्ञापन

विज्ञापन मद के अन्तर्गत आबंटित धनराशि से प्रदेशीय/अखिल भारतीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र–पत्रिकाओं/इलेक्ट्रानिक माध्यमों से प्रदेश के पर्यटक–आकर्षणों, पर्यटन–गतिविधियों और प्रदेश में उपलब्ध पर्यटन–सुविधाओं से सम्बन्धित विज्ञापन प्रकाशित कराये जाने प्रस्तावित हैं।

प्रदर्शनी

प्रदेश के पर्यटन–स्थलों/पर्यटन–गतिविधियों तथा पर्यटन–सूचनाओं का अधिकाधिक प्रचार–प्रसार कराने हेतु विभाग द्वारा समय–समय पर विभिन्न स्थानों/आयोजनों पर प्रदर्शनियों का आयोजन कराया जाता है। वर्ष 2010–11 में भी इनका आयोजन कराया जाना प्रस्तावित है।

ई–गवर्नेन्स

पर्यटन से सम्बन्धित गतिविधियों को वर्तमान युग के अनुरूप सुनियोजित करने हेतु विभाग द्वारा कम्प्यूटर के प्रयोग पर विशेष रूप से बल प्रदान किया जा रहा है। इस क्रम में पर्यटक आवास गृहों एवं पर्यटन कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त पर्यटकों की सुविधा के लिए विभागीय वेबसाइट, ई–मेल एवं आन लाइन बुकिंग सुविधाएं भी सुलभ करायी गयी हैं।